



Neutral Citation No. - 2026:AHC:53640-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 8803 वर्ष 2026

राम प्रकाश सिंह राणा और 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: हिमांशु श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 21

माननीय न्यायमूर्ति महेश चन्द्र त्रिपाठी

माननीय न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह

1. याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री सिद्धार्थ श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री हिमांशु श्रीवास्तव, अधिवक्ता और राज्य प्रतिवादियों की ओर से श्री देवेश विक्रम, अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता की दलीलें सुनी गईं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. कानपुर नगर जिले के नरवाल तहसील के नरवाल जिले के अमौर गांव के स्थायी निवासी और काश्तकार याचिकाकर्ताओं ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत के लिए इस न्यायालय से संपर्क किया है:

i. रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जो प्रतिवादियों को आदेश दे कि वे कानपुर डिफेंस नोड को एएच-1 से जोड़ने वाली लिंक रोड के चौड़ीकरण का काम न करें। यह रोड सरह गांव, अमाउर, नरवाल, तहसील नरवाल, जिला कानपुर नगर में स्थित है।

ii. कोई अन्य रिट आदेश या निर्देश जो यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उचित समझे।

iii. इस रिट याचिका का खर्च प्रदान किया जाए।”

3. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने बताया कि याचिकाकर्ताओं के गांव से होकर गुजरने वाली संपर्क सड़क मूल रूप से लगभग 60 फीट चौड़ी थी, लेकिन प्रतिवादी संख्या 3 - लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने इसे 120 फीट तक चौड़ा करने की परियोजना शुरू की है ताकि एएच-1 को सरह गांव स्थित कानपुर रक्षा नोड से जोड़ा जा सके। इसके अनुसरण में, दिनांक 20.01.2026 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई और दिनांक 25.01.2026 को अमर उजाला समाचार पत्र में प्रकाशित की गई, जिसमें प्रभावित भूमिधारकों को अपने भूमि मामलों को समझौते के माध्यम से निस्तारण के लिए आमंत्रित किया गया था। यह निवेदन किया गया है कि यद्यपि सूचना में कई गांवों का उल्लेख किया गया है, लेकिन याचिकाकर्ताओं के गांव अमाउर, जिससे होकर सड़क भी गुजरती है, का उल्लेख नहीं किया

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया है, जबकि याचिकाकर्ताओं की भूमि प्रभावित है। चल रहे कार्य का गूगल मैप और तस्वीरें अनुलग्नक संख्या 4 और 5 के रूप में संलग्न हैं।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि याचिकाकर्ता सड़क चौड़ीकरण के कार्य का विरोध नहीं करते हैं; हालांकि, उचित मुआवजे का अधिकार भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 (जिसे आगे “अधिनियम, 2013” कहा गया है) के तहत पर्याप्त मुआवजा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पर्याप्त मुआवजे के अभाव में, याचिकाकर्ताओं को उनकी जोतों से बेदखल नहीं किया जा सकता है।

5. इसके विपरीत, श्री देवेश विक्रम, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता, ने प्रस्तुत किया कि यह स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी - पीडब्ल्यूडी, जिसके माध्यम से सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, ने दिनांक 20.01.2026 को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें कहा गया है कि आपसी बातचीत/समझौते के माध्यम से सड़क चौड़ीकरण (चार लेन) के लिए भूमि की आवश्यकता होगी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी अधिकारियों का उद्देश्य किसी भी भूमिधारक को उनके मूल स्थान से विस्थापित करना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य विकासात्मक कार्य करना है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि यदि याचिकाकर्ताओं की जमीन का उपयोग सड़क चौड़ीकरण के लिए किया गया है, तो याचिकाकर्ताओं के मामले पर जिला स्तरीय समिति द्वारा विचार किया जाएगा राज्य सरकार द्वारा जारी दिनांक 12.05.2016 के सरकारी आदेश के तहत, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी भी काश्तकार की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है, तो अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त मुआवजा सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निवेदन किया कि यदि याचिकाकर्ताओं

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को जिला स्तरीय समिति के समक्ष उपरोक्त उपाय का लाभ उठाने के लिए भेजा जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा मांगी गई राहत पर विचार करते हुए, हम पाते हैं कि चूंकि प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ताओं के गांव से गुजरने वाली संपर्क सड़क को 120 फीट तक चौड़ा करने की परियोजना को आगे बढ़ाया है ताकि एएच-1 को सरह गांव स्थित कानपुर रक्षा नोड से जोड़ा जा सके, और इसके अनुसरण में 20.01.2026 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी जिसमें प्रभावित भूमिधारकों को अपने भूमि मामलों को समझौते के आधार पर निस्तारण के लिए आमंत्रित किया गया था, इसलिए यह उचित होगा कि वर्तमान मामले को जिला स्तरीय समिति को भेजा जाए, जो याचिकाकर्ताओं के दावे की उचित समय सीमा के भीतर जांच करे और अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष/जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करे, जो तदनुसार पर्याप्त मुआवजा प्रदान कर सकते हैं।

7. तदनुसार, हम इस याचिका का **निस्तारण** याचिकाकर्ताओं को इस स्वतंत्रता के साथ करते हैं कि वे इस आदेश की सत्य सत्यापित प्रति सहित एक नया अभ्यावेदन दिनांक 12.05.2016 के सरकारी आदेश के तहत गठित जिला स्तरीय समिति के समक्ष आज से एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें। यदि ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो जिला स्तरीय समिति इसके बाद दो सप्ताह के भीतर अध्यक्ष/जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। अध्यक्ष/जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर याचिकाकर्ताओं के दावे पर विचार करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यवाही इसके बाद एक सप्ताह के भीतर पूरी हो जाए।

(न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह) (न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



17 मार्च, 2026

एनएलवाई

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।